रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 115] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 9, 1976/फाल्गुन 19, 1897

No. 115] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 9, 1976/PHALGUNA 19, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th March 1976

S.O. 180(E).—In exercise of the powers conferred by section 169 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Central Government, after consulting the Election Commission, hereby makes the following rules further to amend the Conduct of Elections Rules, 1961, namely:—

1. These rules may be called the Conduct of Elections (Amendment) Rules, 1976.

2. In the Table below rule 90 of the Conduct of Elections Rules, 1961 under the heading 'II. UNION TERRITORIES' entries 2 to 8 shall be renumbered as entries 3 to 9 respectively and before entry 3 as so re-numbered, the following entry shall be inserted, namely:—

"2. Arunachal Pradesh 15,000 5,000".

[No. F.7(3)/76-Leg.II]

E VENKATESWARAN, Jt. Secy

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मार्च, 1976

का० आ० 180 (अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 169 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के बाद निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 में और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. इन नियमों का नाम निर्वाचनों का संचालन (संशोधन) नियम, 1976 है।

2. निर्वाचनों का संचालन, नियम 1961 के नियम 90 के नीचे दी गई सारणी में, '2. संघ राज्यक्षेत्र' शीर्षक के अन्तर्गत दी गई 2 से 8 तक की प्रविष्टियों को क्रमशः प्रविष्टि 3 से 9 के रूप में पुनसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनसंख्यांकित प्रविष्टि 3 के पूर्व निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"2. अरुणाचल प्रदेश 15,000 5,000"।

[सं० फा० 7(3)/76-विधायी II]

ई० वेंकटेश्वरन्, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976